7445
संख्या– /71–2–2008–163/97 टी०सी०

प्रेषक,

मु० रफीक सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपतिशाहूजी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ दिनांक 24 दिसम्बर, 2008

विषयः– शम्म–ए–गौसिया माईनारिटी आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी नन्दगंज, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय के अन्तर्गत बी०यू०एम०एस० एवं बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजना के अधीन दिनांक 01.07.07 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

Received 20.12.08

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/2848/2008, दिनांक 28.11.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007 की धारा–37 (2) के अधीन शम्म–ए–गौसिया माईनारिटी आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी नन्दगंज, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रम में 40 सीट की प्रवेश क्षमता एवं बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में 40 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.07 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(1) संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद तथा भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर दिये गये मानकों, निर्देशों एवं आदेशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट तथा प्रवेश की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा।

(3) संस्था द्वारा उ०प्र० शासन/मा० कुलाधिपति/विश्वविद्यालय प्रशासन/स्टेट्यूटरी बाडी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(4) संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।

(5) संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेश का पालन करेगी।

(7) संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 के रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।

(8) संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

(9) संस्था भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग/सी0सी0आई0एम0 द्वारा समय–समय पर दिये गये मानको/निर्देशों/आदेशों का पालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना/शपथ–पत्र समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित करेगा।

भवदीय,

(मु0 रफीक सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या– 7445 (1)/71–2–08–तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, ए–रेडक्रास रोड, नई दिल्ली।
2– सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61–65 इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया जनकपुरी, नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5– प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति शम्म–ए–गौसिया माईनारिटी आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी नन्दगंज, गाजीपुर।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मु0 रफीक सिद्दीकी)
उप सचिव।

प्रतिलिपि पत्र संख्या 7445/71-2-08-163/97टी0सी0 दिनांक 24.12.2008 द्वारा उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2848/2008 दिनांक 28.11.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम-2007 की धारा-37(2) के अधीन शम्म-ए-गौसिया माईनारिटी आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालज, एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, नन्दगंज, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 40 सीट की प्रवेश क्षमता एवं बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 40 सीट्स की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:

1. संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद तथा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर दिये गये मानकों, निर्देशों एवं आदेशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
2. संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद तथा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट्स तथा प्रवेश की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा ।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 शासन/माननीय कुलाधिपति/विश्वविद्यालय प्रशासन/स्टेट्यूटरी बाडी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।
4. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी ।
5. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के संबंध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी ।
7. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0 के रेगूलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी ।
8. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से संबंधित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी ।
9. संस्था भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर आयुष विभाग/सी0सी0आई0एम0 द्वारा समय-समय पर दिये गये मानको/निर्देशों/आदेशों का पालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना शपथ पत्र समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित करेगा ।

<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 175 /2009

दिनांक 7/01/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, शम्म-ए-गौसिया माईनारिटी आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालज, एण्ड हास्पिटल, सहेड़ी, नन्दगंज, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के पत्र दिनांक 24.12.2008 में इंगित शर्तों निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।
2. सहायक कुलसचिव(मेडिकल परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव